



वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्ब/01-(तीन)/2014/ 847)
दिनांक: 16-09-14

सेवा में,

प्रबन्धक,
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय
देवगांव, आजमगढ़।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजना के अधीन स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत-बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-30.04.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर,2010 एवं 25 नवम्बर,2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजना-न्तर्गत 03 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/ अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता	वर्ग
1	श्री रविरंजन सिंह	श्री परशुराम सिंह	01.07.1982	एम0एड0, नेट दिसम्बर 2012	बी0एड0	कला वर्ग
2	श्री आनन्द यादव	श्री राम सनेही यादव	17.07.1982	एम0एड0, नेट जून-2012	बी0एड0	कला वर्ग
3	अर्चना	श्री उमाशंकर यादव	31.08.1981	एम0एड0, नेट दिसम्बर 2012	बी0एड0	कला वर्ग
4	श्री अरविन्द कुमार यादव	श्री भोलानाथ यादव	12.08.1980	एम0एड0, नेट जून 2011	बी0एड0	कला वर्ग
5	श्री सन्तोष कुमार तिवारी	श्री कान्त तिवारी	01.03.1980	एम0एड0, जून 2012	बी0एड0	कला वर्ग
6	श्री आनन्द कुमार सिंह	श्री हंस नारायण सिंह	17.11.1978	एम0एड0, नेट दिसम्बर-2012	बी0एड0	कला वर्ग
7	श्री दिनेश कुमार	श्री छोटे लाल	20.07.1981	एम0एड0, नेट दिसम्बर 2012	बी0एड0	विज्ञान वर्ग

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्यनिधि (कान्डीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रबन्धक

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय
देवगांव- आजमगढ़



वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक:

कुलसचिव
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर

पत्रांक: पू.वि.वि./सम्ब/01-(तीन)/2014/ 10068
दिनांक: 3.2.15

सेवा में,

प्रबन्धक,
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय,
देवगांव, आजमगढ़।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में चयनित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-27.10.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति, एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 एवं 25, नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर चयनित बी0एड0 विभागाध्यक्ष के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त विभागाध्यक्ष अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद
डा0 राकेश चन्द्र दूबे	स्व0 रामाश्रय दूबे	04.01.1962	एम0एड0.पी-एच0डी0-2013	विभागाध्यक्ष

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति विभागाध्यक्ष एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ़ीडेरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। साथ ही AISHE Survey के अन्तर्गत महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें।

नोट- यदि भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है, तो तीन माह में करा लें।

भवदीय

Satish Kumar Jha

प्रबन्धक

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस महाविद्यालय,
देवगांव- आजमगढ़

[Signature]
कुलसचिव